सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 329
16/3/2010

सूचना आयुक्त ने दिया पी0आई0ओ0–सह–बी0डी0ओ0 को आर्थिक दण्ड की राशि जमा करने का निदेश

पटना, 16 मार्च :: राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सूचना आयुक्त श्री पी0एन0नारायण ने लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, जोकीहाट, अररिया को मो0 मजहर आलम के मामले में लगाए गए आर्थिक दण्ड को पाँच लगातार मासिक किस्तों में जमा करने संबंधी आदेश सहित उन्हें दिनांक 2 जून, 10 को स्वयं आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने वाद संख्या– 19127/08–09 में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत पी0आई0ओ0–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, जोकीहाट, अररिया को स्पष्टीकरण देने हेतु अंतिम मौका दिया है।

ज्ञातव्य है कि सूचना आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को 15 मई, 10 या उससे पूर्व सुलभ कराने का भी आदेश दिया है।

———————